अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
30-9-14	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 140/2011** मो0 रकीब एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम मो0 असलम सिद्दिकी एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.07.2011 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 09/10–11 के विरूद्ध रेसपोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है। निम्नन्यायालय अभिलेख में अपीलार्थी यहाँ प्रतिवादी बनाये गये हैं। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः घोड़दौड़, थाना –सलखुआ, जिला –सहरसा के पुराना खाता संख्याः 141 नया खाताः 379, खेसरा 323, 357, 360, 387, एवं 378 कुल रकबा 61 डीसमल (13 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी) प्रश्नगत विवादी भूमि है। अपीलार्थी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को डीड संख्याः 12601/दिनांक 10.07.92 को बजरिये "दान पत्र" से विवादी भूमि प्राप्त वो अपीलार्थी /प्रतिवादी के विकेता को भी डीड संख्याः 10850/ दिनांक 17.04.74 को बीबी असलुमन से प्राप्त हुआ वो अपीलार्थी /प्रतिवादी को रैयती हक प्राप्त है। बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि विवादी जमीन दिनांक 12.12.61 को ही "शेख मोहम्मद अब्दुल लतीफ पेसर शेख ठीठर अली मरहुम से हमारे पिता एवं चाचा "शेख दबीर अहमद" तथा शेख मुकतदीर अहमद" को निबंधित दस्तावेज से हासिल रहते आया जिसपर हमारे पिता एवं चाचा ने घर मकान बनाकर रहते आ रहे हैं वो आज भी हैं। अपीलार्थी /प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद हासिल होते आ रहा है वो दखल कब्जा के आधार पर उक्त 1961 वाली	

खरीदारी का हाल खतियान भी हमारे पिता एवं चाचा "दबीर अहमद वो मुखतदीर अहमद" के नाम से सही बना वो उक्त हाल खतियान का 1965 में कार्यवाही प्रारंभ हुआ वो उस समय अपीलकर्त्ता /प्रतिवादी के पिता एवं चाचा का दखल कब्जा पाया गया वो धर मकान पाया गया जो हाल खतियान खाताः 379, खेसरा 323, 357, 360, 378, 387 एवं 967 में दर्ज हुआ ***वो हाल खतियान 21 जून 1985 में फाईनल हो गया वो अपीलकर्त्ता के पिता एवं चाचा के नाम से*** सही बना है।

अपीलकर्त्ता/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पाण्डेन्ट काफी जालसाज व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ***उक्त 12.12.61 के निबंधित केवाला तथा हाल खाता 379 जो 1985 में फाईनल हो गया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया*** वो एक झूठा केवाला रेस्स्पोण्डेन्ट/वादी 1992 ई0 में तैयार किये, जिसके आधार पर रेस्स्पाण्डेन्ट/वादी का कभी हक दखल नहीं हुआ, न ही हाल खतियान ही रेसपाण्डेन्ट/वादी के नाम से बना, एक झूठा, फेक मुकदमा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहॉ दायर किये वो विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी के सभी महत्वपूर्ण कागजात 1961 के निबंधित केवाला वो फाईनल हाल खतियान वो सरकारी रसीद वो घर मकान दखल कब्जा को नजर अंदाज करते हुए उक्त आदेश पारित किये जिसमें उनसे चूक हुई है वो अपने आदेश के पेज नं0–5 में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा अंकित किया गया है कि "वाद को अस्पष्ट माना गया एवं अस्पष्ट अर्जी को कानून की नजर में महत्वहीन बताया गया है वो यह भी स्पष्ट आदेश अंकित किया गया है कि ऐसे तकनिकी प्रावधानों के आधार पर भूमि विवाद के मामले पर विचार करना प्रावधानों के विपरीत है इसके बावजूद भी विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा विवादी भूमि पर बिना कागजात के वो भी बिना दखल कब्जा के रेस्स्पाण्डेन्ट/वादी का दखल कब्जा की घोषणा सम्पुष्ट कर दी गई है जो विधिक चूक है बतलाते हैं।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि वे अपना सभी कागजात 1961 ई0 का निबंधित केवाला वो फाईनल हाल खतियान, सरकारी रसीद वो हाल खतियान जिसमें भी घर मकान दर्ज अंकित है सभी दिया था मगर निम्न न्यायालय के द्वारा सभी महत्वपूर्ण वो आवश्यक कागजात को नजर अंदाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में कैडस्ट्ल सर्वे खतियान मौजा– घोड़दौड़ खाता नं0 141 खेसरा नं0 376 एवं अन्य रकबा 14 बीघा 5 कट्ठा 5 धूर – नाम से मसो0 मातो पतिः शेख ठीठर, हाल सर्वे खतियान मौजाः घोड़दौड़ नया खाता नं0 379, नया खेसरा 323, 357, 360, 378, 387, 967 कुल रकबा 4 एकड़ 87 डीसमल– नाम से दबीर अहमद एवं मुकतदीर अहनद पिता–अब्दुल लतीफ अपीलार्थी के पिता एवं चाचा एवं उर्दू सेल डीड संख्या 8455 दिनांक 22.12.61 उर्दू भाषा में (हिन्दी में अनुवाद के साथ), रेंट रसीद नाम से– दबीर अहमद मुकतदीर अहमद वर्ष 1963–64, 1964–65, 1967–68, 2002–03 की छाया प्रतियॉ दाखिल किया गया है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में विपक्षी ने अपना अधिकार का प्रख्यान करने एवं अन्य प्रतिकारों के लिए किया था। वाद का विषय खाता 379 खेसरा 323, 379, 360, 387, 378, रकबा 60.1/2 डीसमल के मौजा घोड़दौड़ के हैं। विपक्षी का कहना है कि शेख ठीठर को प्रस्तुत विवाद ग्रस्त एराजी एवं अन्य एराजी थी तथा शेख ठीठर स्वर्गीय अपने दो लड़के वो तीन लड़कियों को छोड़ कर स्वर्गीय हुए जिसमें एक लड़की बीबी असलुमन वजरिये केवाला अपना हिस्सा 13 कट्ठा 18 धुर दिनांक 17 अप्रील 1974 ई0 को बीबी सहीदा जौजे मोहम्मद सिद्दिकी को बिक्री किया, उनका दखल कब्जा हुआ वो दाखिल खारिज उसका हुआ एवं जमाबंदी चलती थी। बीबी हसीदा अपनी उक्त खरीदगी जमीन रेस्पाण्डेन्ट/वादी को दिनांक 10.07.92 को दान पत्र कर दी वो दखल कब्जा दे दी वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी अपना घर भी बनाए जिसमें रहते हैं तथा अपना नाम

दाखिल खारिज अंचल सिरिस्ता में करवाये वो मालगुजारी अदाय कर रसीद हासिल करते चले आ रहे हैं वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी को स्वत्व वो अधिकार हासिल है वो रेस्पाण्डेन्ट/वादी दखलकार चले आते हैं इसी बुनियाद पर विपक्षी के दावा का प्रख्यापन हुआ है। आगे यह भी कथन करते हैं कि दूसरी ओर अपीलकर्त्ता का दावा है कि उक्त एराजी ठीठर की थी वो ठीठर के दो लड़के का होना जिक किया वो तीन पुत्री बंक्षबृक्ष में दिखलाया है लेकिन नाम केवल एक पुत्री का दिया है तथा अपील के ग्राउण्ड में जो बंशबृक्ष दिया है उसमें पुत्री का नाम दर्ज नहीं है तथा विपक्षी ने यह दर्शाया है कि सबुजन नावल्द मर गयी वो उनको हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि निम्न न्यायालय में दाखिल जबाब के पेज नं0 2 पर दर्शाया है वो प्रतिवादी रेस्पोण्डेन्ट के निम्न न्यायालय में दिये गये जबाब में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शेख ठीठर को दो पुत्र लतीफ उद्दीन वो मोहीव उद्दीन तथा तीन पुत्री जिसमें एक का नाम सबुजन दर्शाया है वो दो पुत्रियों का नाम जानबुझ कर नहीं दिया है जबकि सही हाल यह है कि बीबी असलुमन शेख ठीठर की पुत्री थी जिनको शेख ठीठर के सम्पत्ति में हक, हिस्सा था वो मुताविक हक, हिस्सा के बीबी असलुमन ने मरकुमें ता0 17.04.1974 ई0 को केवाला बहक बीबी हसीदा को तामिल वो रजिस्ट्री कर दी वो बाद खरीदगी के बीबी हसीदा हकदार वो दखलकार हुई ।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि विपक्षी ने दूसरी बात यह कहा है कि ठीठर के दो लड़के थे इसमें एक लड़का लतीफ उद्दीन था वो लतीफ उद्दीन का जो 1961 को केवाला कहा जाता है उस केवाला से लतीफ उद्दीन अपने लड़के के पक्ष में तामिल किया है जबकि लतीफ उद्दीन कुल भूमि शेख ठीठर को बिक्री करने का अधिकार नहीं थां वो केवाला फर्जी है वो खिलाफ मुस्लिम विधि के है वो निम्न न्यायालय ने सही रूप से उक्त केवाला को अधारहीन दर्शाया है। बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मानते हैं कि रेसपाण्डेन्ट/वादीगण –2 के पक्ष में दानपत्र कर दिया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी/ प्रतिवादी, रेसपाण्डेन्ट/वादी के पक्ष में तामिल वो रजिस्ट्री दान पत्र मरकुमें ता0 10.07.92 स्वीकार करते हैं वो उक्त दान पत्र के आधार पर जमाबंदी चल रही है वो रसीद कटती है जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त दान पत्र को लेना बीबी रवीना खातुन वो मो0 असलम सिदि्दकी ने स्वीकार किया वो उक्त दान पत्र का अमल दरामद (acted upon) हो चुका है वो उक्त दान पत्र के आधार पर रेसपाण्डेन्ट/वादी हकदार वो दखलकार चले आते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय ने दोनों पक्षों के सभी कागजातों का जिक किया है तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल निम्न न्यायालय के जबाब के परिशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि 1974 ई0 में ही जमीन बिकी हुई वो 1992 ई0 में रेसपाण्डेन्ट/वादी को दान पत्र से हासिल हुआ वो जमाबन्दी चल रही है। उसी परिस्थति में उसे रैयत मान कर निम्न न्यायालय ने आदेश पारित किया है जहॉ तक 1961 के केवाला का प्रश्न हैं वह केवाला पिता ने पुत्र के पक्ष में तामिल किया है वो मो0 अब्दुल लतीफ कुल सम्पत्ति बेचने का अधिकार नहीं था वो नाजायज केवाला अपने पुत्र के पक्ष में किया वो उक्त तथाकथित केवाला के आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी को कभी हकियत वो दखल कब्जा नहीं हुआ वो मुस्लिम विधि के दृष्टिकोण से भी उक्त केवाला नाजायज वो विधि विरूद्ध है वो रेसपाण्डेन्ट के पक्ष में तामिल केवाला वो दान पत्र जायज है वो जमाबंदी चल रही है वो निम्नन्यायालय का आदेश सही है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं।

रेसपाण्डेन्ट/वादी द्वारा अपने पक्ष में केवाला नविस्ते बीबी असलुमन बहक बीबी हसीदा दिनांक 17.04.74, दान पत्र नविस्ते बीबी हसीदा बहक बीबी रवीना खातुन वो मो0 असलम सिदि्दकी दिनांक 10.07.1997, लड़की के हिस्सा के संबंध में शरियत (फुलवारी शरीफ पटना उर्दु एवं उसका हिन्दी रूपान्तर), जमाबन्दी नं0 1429 के अनुसार मालगुजारी रसीद वर्ष 07–08, 09–10, 11–12 एवं 2012–13 एवं मालगुजारी रसीद नाम से बीबी रवीना खातुन वो असलम सिदि्दकी मौजा– घुड़दौर वर्ष 2014–15 की छाया

प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि " *प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल अर्जी दावा में वादी नं0 –2 का संबंध परिवार के किसी सदस्य के साथ हुआ जिससे की सम्बन्ध विच्छेद हो गया तथा उन सदस्य के द्वारा वादी नं0 2 के पक्ष में निबंधित दस्तावेज बना दिया तथा पुनः उस निबंधित दस्तावेज को नकद राशि देकर वापस करवा लिया गया । उक्त तथ्य को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे तथ्य न्यायालय के समक्ष दाखिल कागजातों की प्रमाणिकता पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है जिस आधार पर प्रतिवादीगीण के अधिकार की प्रमाणिकता का ठोस आधार नहीं बनता है।*"

निम्न न्यायालय के आदेश में आगे यह भी अंकित किया गया है कि " इसके विपरीत वादीगण द्वारा दाखिल कागजात विल्कुल ही स्पष्ट एवं दर केवाला –दर केवाला तथा माल गुजारी रसीद के आधार पर विल्कुल ही वादीगण पक्षकार की ओर से दाखिल अर्जी दावा पर एक सुस्पष्ट प्रकाश डालता है जिसे न्यायालय द्वारा अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।"

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि अद्यतन जमाबन्दी एवं निर्गत राजस्व रसीद के अनुरूप प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराकर वाद का निस्तार युक्ति संगत है। इस हद तक निम्न न्यायालय के आदेश में संशोधन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

उभय पक्षों को इसकी सूचना देकर स्थानीय अंचल पदाधिकारी भूमि विवाद का निपटारा करेंगे।
लेखापित एवं संशोधित।

30.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा